मेसर्स जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड, द्वारा गारे IV/4 कोल माईन, ग्राम – बांजीखोल, कोंड्केल, बनखेता, डोंगामहुआ एवं बेलजोर, तहसील – तमनार, जिला – रायगढ़ (छ.ग) में क्षमता विस्तार के तहत् प्रस्तावित माईनिंग ऑफ कोल क्षमता – 0.48 एम.टी.पी.ए. से 1 एम. टी.पी.ए. (एम. एल. एरिया – 701.512 हेक्टेयर) पर्यावरणीय स्वीकृति के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई दिनांक 02.05.2012 का कार्यवाही विवरण :–

मेसर्स जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड, द्वारा गारे IV/4 कोल माईन, ग्राम – बांजीखोल, कोंड्केल, बनखेता, डोंगामहुआ एवं बेलजोर, तहसील – तमनार, जिला – रायगढ़ (छ.ग) में क्षमता विस्तार के तहत् प्रस्तावित माईनिंग ऑफ कोल क्षमता – 0.48 एम.टी.पी.ए. से 1 एम. टी.पी. ए. (एम्. एल. एरिया – 701.512 हेक्टेयर) पर्यावरणीय स्वीकृति के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई दिनांक 02.05.2012 को स्थान – शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, मीलूपारा का प्रांगण, जिला रायगढ में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायगढ़, पदेन अपर कलेक्टर, जिला – रायगढ़ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इनके द्वारा प्रातः 11.00 बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारंभ की गई। लोक सुनवाई में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, रायगढ़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा तथा क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ उपस्थित थे। लोक सुनवाई में आसपास के ग्रामवासी तथा रायगढ़ के नागरिकों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं ने भाग लिया। सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.06 के प्रावधानो की जानकारी दी गयी।

लोक सुनवाई में लगभग 1100 लोगो का जन समुदाय एकत्रित हुआ। उपस्थिति पत्रक पर 40 लोगों ने हस्ताक्षर किये। मौखिक वक्तव्यों को लिपिबद्ध किया गया।

लोक सुनवाई उद्योग प्रतिनिधि के द्वारा परियोजना के प्रस्तुतीकरण से प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम उद्योग की ओर से श्री दिनेश श्रीवास्तव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, द्वारा परियोजना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी देते हुए बताया गया कि इस परियोजना के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं होगी। गैर वन भूमि प्रस्तावित है। 260 घनमीटर पानी की आवश्यकता होगी। केंद्रीय भूजल बोर्ड से अनुमति प्राप्त की गई है। 850 मानव की आवश्यकता होगी। वायु, जल, मृदा, भूगर्भ विज्ञान, फ्लोरा फौना के संबंध में आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। यह आंकड़ा 2010–2011 के बीच एकत्रित किया गया है। जल का भौतिक एवं रासायनिक गुण मानक सीमा के अंतर्गत है। ड्रिलिंग करते समय पानी का उपयोग किया जायेगा। वाहनों एवं उपकरणों का नियमित रख रखाव किया जायेगा। वृक्षारोपण किया जायेगा। मजदूरों को डस्ट मास्क उपलब्ध कराये जायेंगे। जल को सेटलिंग टैंक में भंडारित किया जायेगा ताकि इस जल का विभिन्न कार्य हेतु उपयोग किया जा सके। वर्कशॉप से निकलने वाले जल के लिए जल शोधन संयंत्र बनाया जायेगा। ब्लास्टिंग मार्गदर्शिकानुसार ही किया जायेगा। खुली खदान में 40 मीटर खनन किया जायेगा। ओव्हर बर्डन का उपयोग बैक फिलिंग में किया जायेगा। डंप क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल बनाया जायेगा। स्थानीय प्रजाति के पौधों का वृक्षारोपण किया जायेगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सड़क सुधार आदि कार्य किया जायेगा। स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जायेगा। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के गाईडलाईन का पालन किया जायेगा। पर्यावरण के लिये व्यवस्थित प्रबंधन किया जायेगा। इस तरह प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, जल की आवश्यकता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्थानीय लोगों को रोजगार, सामुदायिक विकास आदि कार्य किये जाने के संबंध में जानकारी दी गयी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायगढ़ पदेन अपर कलेक्टर द्वारा उद्योग प्रतिनिधि को जन सुनवाई के दरम्यान उठायी गई आपत्तियों, टीकाटिप्पणी को नोट करने तथा उन्हें कार्यवाही के अंत में बिन्दुवार स्पष्ट जानकारी देने का निर्देश दिया गया। इसके उपरांत उपस्थित जन समुदाय से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणी आमंत्रित की गयी, जिस पर निम्नानुसार 531 व्यक्तियों ने अपने विचार व्यक्त किये –

सर्वश्री –

1. श्री शशिभूषण नायक, ग्राम–सक्ता – स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये। इंग्लिश मीडियम का स्कूल नहीं है। यहां डॉक्टर की व्यवस्था की जाये। कंपनी अपना विस्तार करें। मेरा समर्थनहै।
2. खुटीराम नायक, ग्राम–सक्ता– कंपनी क्षमता विस्तार का लक्ष्य पूरा करें। मेरा समर्थन है। हमारे गांव का रोड जर्जर अवस्था में है। मेरा अनुरोध है कि इस रोड को अवश्य बनवाये।
3. तिरिथ राम पटेल, ग्राम–सक्ता– समर्थन।
4. मदनसुंदर मिश्रा, आमगांव – समर्थन। यहां हाईस्कूल हेतु भवन का निर्माण होना चाहिए।
5. ज्ञान सागर गुप्ता, ग्राम–जांजगीर – इस कंपनी का तहेदिल से स्वागत करता हूँ। मैं विकास विरोधी नहीं हूँ। इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए। आज कंपनी के आने से ही इस क्षेत्र का विकास हुआ है। कंपनियों का पर्दापण होने से रोड, बिजली, जल, शिक्षा आदि का विकास होगा। हमे भी दिल्ली बॉम्बे में बैठना है हमे विकास चाहिए। इस क्षेत्र के बारे में मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। यह क्षेत्र आगे आ रहा है। इनको बेझिझक पर्यावरणीय स्वीकृति मिलनी चाहिए।
6. नोहर सिंग राठिया, ग्राम–सक्ता – समर्थन।
7. सुखसागर बैरागी, तमनार – समर्थन।
8. श्याम जायसवाल, खम्हरिया – पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए। देश के विकास के लिए उद्योगपतियों को सामने आकर देश के युवाओं को सामने लाना चाहिए तभी हम आगे बढ़ेंगे देश का विकास होगा।
9. राजकुमार राठिया, हिंझर – हाथी रोज आता है। हाथी से बचाव के लिए कंपनी कुछ करें।
10. रामकुमार, हिंझर – समर्थन।
11. रामलाल राठिया, हिंझर – समर्थन।
12. मानसिंग, हिंझर – स्वागत।
13. भजेन्द्र प्रधान, हमीरपुर– युवाओं को ट्रेनिंग देकर नौकरी में रखे। स्वागत।
14. घासीराम सोनी, हमीरपुर – समर्थन।
15. माधो गुप्ता, बिजना – समर्थन।
16. घासीराम पटेल, बजरमुड़ा – समर्थन।
17. निसावनी बेहरा, पालीघाट– समर्थन।
18. दयासागर गुप्ता, जांजगीर – मैं समर्थन करूंगा। आज जो बदलाव देख रहें हैं, सही है। 12 साल के अंदर जो कंपनियां यहां आई हैं। उससे बदलाव हुआ है। इस क्षेत्र की उन्नति एवं खुशहाली के लिए शराब भट्टी बंद कर देनी चाहिए। यह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहां की पानी दूषित होती है। हवा दूषित होती है। 10 झाड़ कटते हैं वहां 100 पेड़ लगना चाहिए। 10 साल के अंदर इस क्षेत्र में पानी की कमी हो जायेगी। कंपनी से मेरा निवेदन है कि यहां एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोले ताकि यहां के बच्चे इंजीनियर बन सके। जिससे चीन जापान से इंजीनियर नहीं मंगाना पड़ेगा। इस क्षेत्र के विकास के लिए कंपनी मीटिंग ले। जिसमें हमारे वरिष्ठ नागरिकों को बुलाये और इस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करें। मेरा समर्थन है।
19. अमृतलाल सिदार, चितवाही – समर्थन।
20. जयराम प्रधान, नागरामुड़ा – समर्थन।
21. देवेंद्र कुमार सिदार, बांझीखोल – ब्लास्टिंग से घर में पत्थर आ रहा है। विस्तार होने से घर में समस्या आ जायेगा। डस्ट खाना में आ रहा है। पर्यावरण के संबंध में कोई कार्य नहीं करते हैं। मैं कंपनी का विरोध करता हूँ।
22. दशरथ लाल राठिया, बांझीखोल – विरोध।
23. अभयराम, बांझीखोल – विरोध।
24. रामलाल राठिया, बांझीखोल – विरोध।
25. मानसिंग राठिया, हिंझर – समर्थन।
26. भरोज, हिंझर – समर्थन।
27. नंदकुमार, बांझीखोल – विरोध।

28. संतोष सिदार, बांझीखोल–विरोध।
29. हेमंत पटेल, बांझीखोल – विरोध।
30. चमरा यादव, बांझीखोल – विरोध।
31. प्रेमानंद चौहान, बांझीखोल – विरोध।
32. बिसराम, बांझीखोल–विरोध।
33. सनतराम, बांझीखोल – विरोध।
34. मोतीराम, बांझीखोल – विरोध।
35. लखन प्रसाद, बांझीखोल – यहां दवाई उपलब्ध नहीं है। मेडिकल उपलब्ध नहीं है। खाना बनाने के लिए कोयला ले जाने पर मना किया जाता है। विरोध।
36. पितांबर सिदार, बांझीखोल – विरोध।
37. जोगिंदा सिदार, बांझीखोल – विरोध।
38. लखराम, बांझीखोल – विरोध।
39. जगतराम राठिया, बांझीखोल – विरोध।
40. रामकुमार सिदार, बांझीखोल – विरोध।
41. चैतराम राठिया, बांझीखोल – समर्थन।
42. गुलशन पटेल, मड़वाडुमर – 2 साल से काम कर रहा हूँ। हमे उचित रेट नहीं दिया जा रहा है। ना ही प्रमोशन दिया जा रहा है। शिक्षा के लिए विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चिकित्सा में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इनमे सुधार किया जाये। समर्थन।
43. शोभाराम पटेल, लालपुर – जो गुलशन बोला है उसका समर्थन है।
44. हेमसागर राठिया, हिंझर – समर्थन।
45. गंगाराम राठिया, हिंझर – समर्थन।
46. नारद राम राठिया, हिंझर – समर्थन।
47. पवन सिंग राठिया, हिंझर – समर्थन। पानी की कमी की व्यवस्था की जाये।
48. विजय सिदार, तमनार – समर्थन।
49. मोहन वैष्णव, तमनार – समर्थन।
50. उमेश प्रसाद पटेल, मड़वाडुमर – समर्थन। हम बेरोजगार भाईयों को रोजगार का अवसर मिला है और बेरोजगार भाईयों को अवसर मिले। मैं यह चाहता हूँ।
51. भरत लाल सिदार, तमनार – समर्थन।
52. उत्तम कुमार, मड़वाडुमर – समर्थन।
53. बेदराम पटेल, मड़वाडुमर – समर्थन।
54. लोकेश्वर प्रसाद यादव, मड़वाडुमर – समर्थन।
55. चित्रसेन पटेल, मड़वाडुमर – समर्थन।
56. कृष्ण कुमार, मड़वाडुमर – कंपनी बहुत अच्छा है। कर्मचारी थोड़ा गड़बड़ है। बोलता कुछ है करता कुछ है। कंपनी को समर्थन करता हूँ कर्मचारी को नहीं।
57. दुर्योधन गुप्ता, जरीडीह हिंझर – समर्थन।
58. जानकी, बांझीखोल – पानी ठीक नहीं है। खदान मना ।
59. शशि कुमारी राठिया, बांझीखोल – विरोध।
60. गुरबारी, पंच, बांझीखोल – विरोध।
61. सुमित्रा, बांझीखोल – विरोध।
62. सीताबाई, बांझीखोल – विरोध।
63. देवकुंवर, बांझीखोल – विरोध।
64. गुलापी बाई, बांझीखोल – विरोध।
65. रत्ना बाई, बांझीखोल – विरोध।
66. गंगामति, बांझीखोल – विरोध
67. जगेश्वर, हिंझर – समर्थन।
68. शिवचरण, हिंझर – सहमत।

69. शकुंतला सारथी, उरबा – हम गरीब है । सहायता चाहिए।
70. धरमकुंवर, उरबा – आधा पैसा दिया जाता है। हमे रेगुलर काम दें।
71. आधामोती, प्रेमनगर, उरबा – डॉक्टर के पास जाने में तकलीफ है। सुविधा चाहिए।
72. लालकुंवर भगत, बांझीखोल – विरोध।
73. अमृत कुमारी, बांझीखोल – विरोध।
74. राजमेत, उरबा – मैं गरीब हूँ। कुछ चाहिए। हमारे बच्चे 9वी, 10वीं पढ़ रहे हैं।
75. अलबिना केरकेट्टा, प्रेमनगर, उरबा – शराब बनाना बिल्कुल बंद होना चाहिए।
76. प्रेमशंकर पटेल, मिलूपारा – मिलूपारा में हॉस्पिटल दिया है। बांझीखोल में काम दिया है। सुचारू रूप से काम चल रहा है। समर्थन।
77. बबलू पटेल, उपसरपंच, पेलमा – बांझीखोल तक रोड दिया है। मिलूपारा में हास्पिटल दिया है। समर्थन।
78. जिगर प्रसाद चौहान, मिलूपारा – समर्थन।
79. अनंदराम राठिया, बेलजोर – समर्थन।
80. लेखराम चौधरी, मिलूपारा – समर्थन।
81. कृपाराम चौहान, कोड़केल – समर्थन।
82. सुरेश कुमार सिदार, कोड़केल – समर्थन।
83. संतराम पटेल, कोड़केल – समर्थन।
84. उसदराम पटेल, कोड़केल – समर्थन।
85. रोहित पटेल, कोड़केल – समर्थन।
86. संतराम सिदार, कोड़केल – समर्थन।
87. कुलदीप पटेल, मड़वाडुमर – समर्थन।
88. यादलाल नायक, बजरमुड़ा – समर्थन।
89. तुलाराम पटेल, करवाही – समर्थन।
90. गौरीशंकर गुप्ता, जांजगीर – समर्थन।
91. गोपाल पटेल, उपसरपंच, लालपुर – समर्थन।
92. महेश राम चौधरी, मिलूपारा – समर्थन।
93. जनक राम पटेल, कोड़केल – समर्थन के साथ निवेदन है कि क्षेत्रीय बेरोजगारों को ही रोजगार प्रदान करें।
94. गुलाब चंद यादव, जांजगीर – समर्थन।
95. दयाराम राठिया, उरबा – समर्थन।
96. नेतकुमार नायक, बजरमुड़ा – समर्थन।
97. भानुप्रताप नायक, बजरमुड़ा – समर्थन।
98. अशोक गुप्ता, लालपुर – समर्थन।
99. सुखराम चौहान, लालपुर – समर्थन।
100. फुलसिंह राठिया, हिंझर – समर्थन।
101. बलराम राठिया, हिंझर – समर्थन।
102. श्याम लाल चौहान, लालपुर – स्वागत।
103. रामधन राठिया, लालपुर – समर्थन।
104. मुरलीधर गुप्ता, लालपुर – समर्थन।
105. धोबीराम, लालपुर – समर्थन।
106. समारू राम राठिया, लालपुर – समर्थन।
107. गोवर्धन राठिया, सरपंच, लालपुर – समर्थन। मेरे पंचायत के लोगों को रोजगार मिला है और मिलेगा।
108. डोकरी, लालपुर – समर्थन।
109. भोजराम यादव, लालपुर – समर्थन।
110. बैधनाथ, लालपुर – समर्थन।

111. दासो, लालपुर – समर्थन।
112. घुरउ, मड़वाडुमर – समर्थन।
113. चंद्रमणि गुप्ता, मड़वाडुमर – समर्थन।
114. कुंजराम यादव, मड़वाडुमर – समर्थन।
115. रोहित कुमार राठिया , लालपुर – समर्थन।
116. चंद्रपाल, लालपुर – समर्थन।
117. भागीरथी राठिया, लालपुर – समर्थन।
118. सुरेंद्र कुमार गुप्ता, लालपुर – समर्थन।
119. चंपाबती चौहान, लालपुर – समर्थन।
120. कलावती राठिया, लालपुर – समर्थन।
121. पुनिया पुरी, उरबा – समर्थन। बाल बच्चे लोंगों को नौकरी देने की कृपा करें।
122. देवमति सारथी, उरबा – गरीब हैं। छोटे छोटे बच्चें हैं उनकी सहायता करें। हमारी भी सहायता करें।
123. कमला, लालपुर – समर्थन।
124. संतोषी, लालपुर – समर्थन।
125. तिलक राम पटेल, मिलूपारा – समर्थन।
126. समय कुमार, मिलूपारा – समर्थन।
127. आशाराम पटेल, कोड़केल – समर्थन।
128. चकधर राठिया, लालपुर – समर्थन।
129. अशोक कुमार गुप्ता, हिंझर – समर्थन।
130. घुरूराम सिदार, मिलूपारा – समर्थन।
131. त्रिपुरारी सिंग, रायगढ़ – समर्थन।
132. अखिलेश्वर पंडित, मिलूपारा– समर्थन।
133. नरेन्द्र मिश्रा, रायगढ़– समर्थन।
134. दुरजन, छिरवानी – समर्थन।
135. पूखराम खुंटे, मिलूपारा – समर्थन।
136. हरिकुमार, मिलूपारा – स्वागत।
137. नवीनचंद सिदार, मिलूपारा – समर्थन।
138. रत्थूराम सारथी, मड़वाडुमर – कंपनी में डेढ़ साल हो गया है काम करते हुए। कांट्रेक्टर बेस पर हूँ। कंपनी में रेग्युलर करने की कृपा करें।
139. तुला प्रसाद सारथी, सिदारपारा – समर्थन।
140. जनक राम सिदार, बांझीखोल – छिरवानी में पढ़ने की असुविधा है। सुविधा बनाये। समर्थन।
141. सिरमती बाई, लालपुर – 2 बच्चा है। बाप विकलांग है। उसका पालन नहीं कर पा रही हूँ। कंपनी मेरे बाल बच्चों का पालन करें।
142. चिर्री बाई, लालपुर – लड़का बच्चा नहीं है। दुख पा रही हूँ। सुविधा चाहिए।
143. सुंदर लाल राठिया, डोलनारा – समर्थन।
144. राजकुमार राठिया, डोलनारा – समर्थन।
145. मंगल साय निषाद, डोलनारा – समर्थन।
146. पितांबर बंजारा, डोलनारा – समर्थन।
147. रामचरण चौहान, डोलनारा – क्षेत्र का विकास के देखते हुए, समर्थन।
148. मिथलेश पटेल, मड़वाडुमर – समर्थन।
149. रघुमणि गुप्ता, मड़वाडुमर – समर्थन।
150. फकीर पटेल, मड़वाडुमर – समर्थन।
151. मितकेतन पटेल, मड़वाडुमर – समर्थन।
152. रज्जु पटेल, मड़वाडुमर – समर्थन।
153. डमरूधर यादव, लालपुर – समर्थन।

154. जगदीश राठिया, लालपुर – समर्थन।
155. रामसिंग राठिया, उरबा – समर्थन।
156. चंदन, उरबा – समर्थन।
157. नेरू लाल भगत, बांझीखोल – बांझीखोल को उठाना चाहता है। ओपन कास्ट न करें।
158. कमलेश्वर पटेल, बांझीखोल – कंपनी, गांव को न उठाये और ओपन कास्ट न खोले।
159. लोचन साहू, पड़ीगांव,– समर्थन।
160. राजकुमार राठिया, पड़ीगांव – समर्थन।
161. रामचरण साहू, पड़ीगांव – समर्थन।
162. रंजीत कुमार, गोढ़ी – समर्थन।
163. तुलसीराम चौहान, मिलूपारा – समर्थन।
164. महेसर, मिलूपारा – समर्थन।
165. विजय देवांगन, रायगढ़ – समर्थन।
166. रामचरण महिलांगे, रायगढ़ – समर्थन।
167. अरूण कुमार राय, अतरमुड़ा रायगढ़ – समर्थन।
168. सदानंद प्रधान, बालजोर– समर्थन।
169. राकेश सिंग, रायगढ़ – समर्थन।
170. श्याम कुमार राठिया, उरबा – समर्थन।
171. रमेश कुमार कुंभकार, तमनार – समर्थन।
172. शरद दास, तमनार – समर्थन।
173. बैकुंठ, तमनार – समर्थन।
174. जमीर, तमनार – समर्थन।
175. शेखर बेहरा, तमनार – समर्थन।
176. सुनील भगत, तमनार – समर्थन।
177. शुभम दुबे, तमनार – समर्थन।
178. बबलू यादव, तमनार – समर्थन।
179. आकाश गुप्ता , तमनार – समर्थन।
180. रूपचंद गुप्ता, तमनार – स्वागत और समर्थन।
181. तुलसी, तमनार – समर्थन।
182. शोभाराम यादव, तमनार – समर्थन।
183. नरेश कुमार गुप्ता, कर्रापाली – समर्थन।
184. शोभाराम पटेल, जांजगीर – समर्थन।
185. धनलाल सिदार, जांजगीर – समर्थन।
186. टिकेश्वर पटेल, तमनार – समर्थन।
187. कृपाराम, कोड़केल – समर्थन।
188. राजेश प्रसाद गुप्ता, जरीडीह – समर्थन।
189. भानुराम, कोड़केल – समर्थन।
190. केमार सिंह, कोड़केल – समर्थन।
191. रतिराम, हिंझर – समर्थन।
192. इतवार सिंग सिदार, कोड़केल – समर्थन।
193. मुन्ना राम, कोड़केल – समर्थन।
194. सुरेश कुमार, कोड़केल – समर्थन।
195. कीर्तिराम, कोड़केल – समर्थन।
196. शनिरो, कोड़केल – स्वागत।
197. लीला, कोड़केल – समर्थन।
198. रमिला, कोड़केल – समर्थन।
199. सुखमती, कोड़केल – समर्थन।

200. धोबनी बाई, कोड़केल – समर्थन।
201. रामवती, कोड़केल – समर्थन।
202. कुमार, उरबा – समर्थन।
203. पुष्पांजली, कोड़केल – समर्थन।
204. संतोषी, उरबा – समर्थन।
205. रैबती, उरबा – समर्थन।
206. भोजमती, कोड़केल – समर्थन।
207. इतवारी, कोड़केल – समर्थन।
208. चितकुंवर, कोड़केल – स्वागत।
209. कमनी बाई, कोड़केल – समर्थन।
210. सुषमा बाई, कोड़केल – समर्थन।
211. सुखरीन, कोड़केल – समर्थन।
212. सुखरीन, कोड़केल – समर्थन।
213. ताराबती, उरबा – समर्थन।
214. सुनीता बाई, उरबा – समर्थन।
215. तिहारू बाई, उरबा – स्वागत।
216. भोजमती, उरबा – समर्थन।
217. लालकुंवर, उरबा – समर्थन।
218. बेलमती, उरबा – समर्थन।
219. रामबती, उरबा – स्वागत।
220. बालाबाई, उरबा – समर्थन। पानी की तकलीफ है।
221. मंगली बाई, पेलमा – समर्थन।
222. श्याम कुंवर, पेलमा – समर्थन।
223. समारी बाई, पेलमा – समर्थन।
224. राधिका बाई, पेलमा – समर्थन।
225. बरातो बाई, पेलमा – नमस्ते।
226. नंदकुंवर, उरबा समर्थन।
227. धनमति, पेलमा – समर्थन।
228. जगमति, पेलमा – समर्थन।
229. गरीबो बाई, पेलमा – समर्थन।
230. जगरमति, पेलमा – समर्थन। पानी की कमी है।
231. महेतरीन, पेलमा – समर्थन।
232. राजकुमारी, उरबा – स्वागत।
233. सरोज कुमार, उरबा – समर्थन।
234. बिमला बाई, उरबा – स्वागत।
235. रइतनो, पेलमा – समर्थन।
236. मुंदरी बाई, पेलमा – समर्थन।
237. लक्ष्मीन, हर्रा – समर्थन।
238. इतवारो, हर्रा – पढ़ने बच्चे आते हैं उसकी व्यवस्था करें।
239. सत्या कुंभकार, तमनार – समर्थन।
240. राजाराम, पेलमा – समर्थन।
241. संतराम, पेलमा – समर्थन।
242. धनीराम यादव, पेलमा – समर्थन।
243. प्रभाकर कुंभकार, तमनार – समर्थन।
244. गणेश राम, पेलमा – स्वागत।
245. तीजराम, पेलमा – समर्थन।

246. रत्तोराम, पेलमा – समर्थन।
247. गोपाल सिंग, पेलमा – समर्थन।
248. मिट्ठूराम राठिया, पेलमा – समर्थन।
249. मंगल सिंग, पेलमा – स्वागत।
250. रामनाथ राठिया, पेलमा – स्वागत।
251. सिदार सिंग, पेलमा – स्वागत।
252. कार्तिक राम, पेलमा – समर्थन।
253. राजेन्द्र सिंग, तमनार – समर्थन।
254. सुदामा, उरबा – समर्थन।
255. भोलेनाथ, तमनार – समर्थन।
256. उत्तम कुमार, पेलमा – समर्थन।
257. सूरज बाई, उरबा – हम महिलाओं के पास दरी नहीं है। दरी, गैस चाहिए। काम चाहिए। पानी पहुंचना चाहिए। समर्थन।
258. डबल सिंग पटेल, पेलमा – समर्थन।
259. ऋषिकुमार राठिया, पेलमा – समर्थन।
260. दीना कुमार यादव, पेलमा – समर्थन।
261. रामप्रसाद राठिया, पेलमा – समर्थन।
262. चंदन सोनी, पेलमा – स्वागत।
263. राजेश कुमार नायक, पेलमा – स्वागत।
264. शिव पटेल, पेलमा –स्वागत।
265. बुधराम पटेल, मड़वाडुमर – समर्थन।
266. मानसाय, पेलमा – स्वागत।
267. भगतराम, खर्रा – रोड चाहिए। लड़के पढ़ने जाते हैं, दिक्कत जाती है। सुविधा चाहिए।
268. तेजराम, खर्रा – रोड खराब है। बोर चाहिए। समर्थन।
269. दुजराम राठिया, सक्ता – टंकी चाहिए। रोड ठीक है। निको की जय।
270. चकधर राठिया, पेलमा – समर्थन।
271. रामकुमार पटेल, भालूमुड़ा – समर्थन।
272. राजेश त्रिपाठी, जन चेतना मंच, रायगढ़ – आज की जनसुनवाई की जा रही है वह केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना 2006 के अनुसार 45 दिन के अंदर करवाई जानी चाहिए। यदि राज्य सरकार इसमें असफल होता है। आज की जनसुनवाई 45 दिन के बाहर है। आज की जनुसनवाई अवैध है औचित्यहीन है। एन. जी. टी. ने उंगली उठाई है। रायगढ़ जिले में जनसुनवाई नहीं बल्कि नौटंकियां होती है। लगभग 80 प्रतिशत लोग आज की जनसुनवाई में इसलिए नहीं आये कि वे लोग तेंदूपत्ता तोड़ने गये हैं। रायपुर सिलतरा के स्पॉज आयरन कंपनी में ले जाया जायेगा यह ईआईए में बताया गया है। इस प्लांट में कोयला नहीं लगता है जो बायोमास पर आधारित प्लांट है। तो कोयला कहां ले जायेंगे ? इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का जंगली जानवर नहीं है। हाथी कुचलने से जो मृत्यु हुई है। जिसका मुआवजा 36 लाख रूपये वन विभाग ने बांटा है। टी.ओ.आर. के अनुसार ईआईए बनाया गया है कि नहीं इसकी जांच होनी चाहिए। जनसुनवाई कराया जाना औचित्यहीन है। टीओआर के अनुसार ईआईए नहीं बनाई गई है। फिर जनसुनवाई का क्या महत्व है ? इस आधार पर एन. जी.टी. में हम केस ले जायेंगे। कंपनी बोल रही है 800 लोगों को रोजगार देने की बात कह रही है। 4 साल से जो कंपनी चल रही है उसमें कितने स्थानीय लोगों को नौकरी दी गई है कंपनी बताये। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, एवं अन्य सुविधाए देकर पुनर्वास कराया जाये। 2 लाख 60 हजार घनमीटर ग्राउंड वाटर कंपनी कैसे लेगी ? जबकि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ग्राउंड वाटर का उपयोग कृषि एवं पेयजल हेतु पानी का उपयोग किया जा सकता है। रायगढ़ जिले के अंदर 52 प्रतिशत रोग दमा के मरीज है। 6 प्रतिशत लोग कैंसर से पीड़ित है। पानी, जंगल, कोयला हमारा है। फिर लुटेरे दूसरे क्यों ? 1 एकड़ का कोयला तीन पीढ़ियों तक नहीं

निकाला जा सकता। फिर कंपनी हमारा क्या विकास करेगी ? पूंजी का लाभांश ग्रामीणों को मिलना चाहिए। कंपनी जबरदस्ती जमीन खरीद रही है कब्जा कर रही है। इनकी रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं किया जाता है। पिछले साल तमनार ब्लॉक के 54 गांवों में पानी की समस्या आ गई थी। कंपनी कहती है कि हमारे कंपनी खोलने से किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आदिवासी लोग खेती, पशुधन और वनोपज पर आधारित है। फिर इनका संसाधन क्या बचेगा ? कंपनी खुलने से सब समाप्त हो जायेगा। तमनार ब्लाक का 16000 हेक्टेयर जमीन एनकेन प्रकारेण कंपनियों के अंदर है। आज की जनसुनवाई अवैधानिक है। कंपनी के कारण लोगों के जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। सभी लोगों के लिए समानता एवं बराबरी का दर्जा होना चाहिए। कंपनी द्वारा पुलिस विभाग को एक दिन का वेतन देना चाहिए।

273. हरिहर प्रसाद पटेल, गारे – पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जो जनसुनवाई हो रहा है वह गलत है। केलो नदी, जल जंगल जमीन के बारे में लिखा लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। खिला पिलाकर समर्थन करा लिया जाता है। समर्थन के बारे में किसी को मालूम नहीं है। पहले एक्सीडेंट नहीं होता था आज एक्सीडेंट हो रहा है। हास्पीटल में डाक्टर, दवाई की व्यवस्था नहीं है। मेरा घोर विरोध है।

274. गनपत सिदार, कोड़केल– समर्थन।
275. गौतम प्रसाद सिदार, कोड़केल – समर्थन।
276. जागेश्वर, कोड़केल – समर्थन।
277. कन्हैया सिदार, कोड़केल – समर्थन।
278. पदुम सिदार, कोड़केल – समर्थन।
279. भागीरथी, कोड़केल – समर्थन।
280. सहयराम यादव, कोड़केल – समर्थन।
281. टीकाराम यादव, खर्रा, – समर्थन।
282. श्रीराम, कोड़केल – समर्थन।
283. भरत लाल सिदार, कोड़केल – समर्थन।
284. श्याम लाल यादव, कोड़केल – मुझे नौकरी नहीं दे रहा है। विरोध।
285. तुलेश्वर, कोड़केल – समर्थन।
286. लीलाधर, कोड़केल – समर्थन।
287. मोहन लाल, कोड़केल – समर्थन।
288. लक्ष्मण नेताम, कोड़केल – समर्थन।
289. फूलसिंग, कोड़केल – समर्थन।
290. नीरज गुप्ता, खर्रा – समर्थन।
291. रोशन गुप्ता, कोड़केल – समर्थन।
292. सुरेंद्र यादव, बनखेता – समर्थन।
293. नान्हीराम, बनखेता – विरोध।
294. संजय गुप्ता, खर्रा – समर्थन।
295. गोपीचंद, बनखेता – विरोध।
296. जगमत सिदार, बनखेता – विरोध।
297. कमला बाई, बनखेता – विरोध।
298. सुलोचना, बनखेता – विरोध।
299. यशोदा यादव, बनखेता – विरोध।
300. सुलोचना, गोढ़ी, – विरोध।
301. गनबती, सक्ता – ....
302. पदमा, सिदारपारा – ....
303. रामप्यारी, सेमीजोर–विरोध।
304. निलाधंरी, सेमीजोर – विरोध।
305. सादमती,सेमीजोर – विरोध।

306. दिलाई, सेमीजोर – विरोध।
307. कमला, सिदारपारा – विरोध।
308. रामेश्वर सिदार, बनखेता – विरोध।
309. डमरूधर सिदार, लालपुर – समर्थन।
310. भरतराम चौहान, उरबा – मोहल्ला में पानी की व्यवस्था ठीक से नहीं हो पा रही है। व्यवस्था करे। विरोध नहीं कर रहा हूँ।
311. रामकुमार दीवान, कोड़केल – समर्थन।
312. रतन सिंग सिदार, खर्रा – पानी एवं छांव की व्यवस्था नही की गई है। विरोध।
313. संतोष कुमार, बेलजोर – विरोध।
314. पत्थर सिंग, कोड़केल – विरोध।
315. अनिल कुमार चौहान, कोड़केल – विरोध।
316. बाबूलाल सिदार, कोड़केल – विरोध।
317. कंठकुमार, बेलजोर – विरोध।
318. प्रेमलाल, मिलूपारा – समर्थन।
319. सोनसाय, कचकोबा – विरोध।
320. घासीराम, सेमीजोर – सबके प्यार है।
321. सोनसाय, दमेकेरा – जय बुढ़ा देव।
322. आत्माराम, दमेकेरा – ....
323. रामचंद्र, कचकोबा – समर्थन।
324. बलराम, दमेकेला – जय बूढ़ा देव।
325. डीपा, लैलुंगा – ....
326. सालिक राम, मिलूपारा – समर्थन।
327. शनिराम, सक्ता – समर्थन।
328. बालकीराम, लैलुंगा – समर्थन।
329. शौकीलाल, मिलूपारा – कंपनी में काम करता हूँ। मेरा 2 लड़का है। कंपनी में काम कर रहा हूँ करता रहूंगा। समर्थन।
330. सुखलाल, गोढ़ी – समर्थन।
331. नान्ही सिदार, गोढ़ी – ....
332. नन्दू, गोढ़ी – जय बुढ़ा देव।
333. जगत सिंग, सिदारपारा – समर्थन।
334. जनक राम, गोढ़ी – जय बुढ़ा देव।
335. रामधन, उरबा – कंपनी से निवेदन है कि हमारे आसपास के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। कोई 12 वीं, कोई बीए तथा कोई एम. ए. पढ़ा है। नौकरी नहीं मिल रही है। इसलिए विरोध करता हूँ।
336. रामकृष्ण राठिया, उरबा – समर्थन।
337. भानुप्रताप राठिया, उरबा – समर्थन।
338. मरवाड़ी राठिया, उरबा – हमे आने जाने में दिक्कत होती है। सुविधा दें। नौकरी दे।
339. चमरू राम राठिया, कचकोबा – जय बूढ़ा देव।
340. दासछठी, कचकोबा – समर्थन।
341. धनीराम सिदार, खर्रा – समर्थन।
342. खेमनाराम, सेमीजोर – हाथी तोड़ देता है। सरकार नहीं देखता है। पैसा नहीं मिलता है। पैसा आज कल निकलेगा कहते हैं।
343. सागोन, गोढ़ी – समर्थन।
344. परसराम, आमाघाट – कोई विरोध नहीं है।
345. अनंतराम, मिलूपारा – समर्थन।
346. धनीराम, गोढ़ी – गरीबी रेखा कार्ड नहीं मिला है।

347. जोतराम, गोढ़ी – समर्थन।
348. दिमंगल सिदार, सिदारपारा – समर्थन।
349. उदेराम, सिदारपारा – समर्थन।
350. भुवनलाल पटेल, गारे – विरोध।
351. उद्धवलाल पटेल, गारे – विरोध।
352. शांतनुराम, लैलुंगा – जय बुढ़ा देव।
353. साधुराम मिलूपारा – समर्थन।
354. रामकृष्णा, उरबा – समर्थन।
355. विक्रम सिंग यादव, आमगांव – इस क्षेत्र में कंपनी के आने से विकास हुआ है। समस्या भी अधिक है। क्षेत्र की समस्या को अधिक ध्यान दिया जाये। हर पहलु में उसकी सुनवाई करें और ध्यान दें। कंपनी के काम से दुखी हैं। अस्पताल खुला है लेकिन डॉक्टर नहीं है। उस पर ध्यान दें। जनता के ऊपर कंपनी का ध्यान होना चाहिए। समर्थन।
356. हेमकुमार राठिया, उरबा – समर्थन।
357. अनंदराम, उरबा – समर्थन।
358. रामनाथ, उरबा – समर्थन।
359. जलधर प्रसाद, गोढ़ी – समर्थन।
360. प्रगेश कुमार गुप्ता, डोलनारा – समर्थन।
361. नित्यानंद बंजारा, डोलनारा – समर्थन।
362. अजय भगत, डोलनारा – समर्थन।
363. सुरेश भगत, ढोलनारा – समर्थन।
364. बसंत प्रधान, ढोलनारा – समर्थन।
365. तेजराम भगत, ढोलनारा – समर्थन।
366. किशोर भगत, ढोलनारा – समर्थन।
367. धेनुराम सिदार, मिलूपारा – समर्थन।
368. कार्तिक राम ,खर्रा – विरोध
369. फणीन्द्र कुमार गुप्ता, खर्रा– समर्थन।
370. खुशीराम, सिदारपारा – समर्थन।
371. पंचराम, मिलूपारा – कंपनी सबकी सेवा करे। समर्थन।
372. लच्छूराम सिदार, खर्रा – समर्थन।
373. जयलाल, खर्रा – समर्थन।
374. लालसाय सिदार, खर्रा – समर्थन।
375. रामलाल, सिदारपारा – मेरा नाम नहीं है।
376. परमेश्वर, सिदारपारा – समर्थन।
377. रतिराम, सक्ता – समर्थन।
378. गुंधिरा, मिलूपारा – जमीन खरीद लिया। कब्जा किया हूँ।
379. सुदुराम, मिलूपारा – समर्थन।
380. अनंत कुमार, मिलूपारा – समर्थन।
381. राजाराम निषाद, मिलूपारा – कंपनी जब जमीन खरीदा था तब नौकरी देने की बात कही गई थी। कंपनी प्रस्ताव करता है लेकिन नौकरी नहीं देता। कंपनी विस्तार में जिसकी जमीन जा रही है उसे नौकरी दें। मेरे परिवार को भी नौकरी दे।
382. अजय कुमार पटेल, मड़वाडुमर – समर्थन।
383. घसिया राम चौहान, सक्ता – समर्थन।
384. जागेश्वर, खर्रा – समर्थन।
385. रामलाल भगत, मिलूपारा – कंपनी मेरा जमीन को ठग लिया है। मैं समर्थन नहीं करता हूँ। बांझीखोल में मेरा जमीन है। पूरा रकम नहीं मिला है।
386. अखिलेश राठिया, कचकोबा – समर्थन।

387. प्रेमलाल, बांझीखोल – मेरे जमीन को डेढ़–ड़ेढ लाख में ठग कर लिया है। पैसा नहीं दिया है। विरोध।
388. जगत राम राठिया, बांझीखोल – गार्ड का नौकरी करता हूं। 4500 रू. देता है।
389. मनुराम, मिलूपारा – समलाई मंदिर अधूरा है उसे पूरा करे। कंपनी का स्वागत करता हूं।
390. बंशीधर सिदार, कोड़केल – समर्थन।
391. प्रेमसिंग चौहान, कोड़केल – समर्थन।
392. डोमल पटेल, कोड़केल – समर्थन।
393. रोहित सिदार, कोड़केल – समर्थन।
394. तेजराम डनसेना, सिदारपारा – समर्थन।
395. ननकीराम, गोढ़ी – 2004 में मेरा जमीन गया। आज तक पैसा नहीं दिया है।
396. रामलाल, मिलूपारा – समर्थन।
397. नानबाबा, गोढ़ी – जमीन का पैसा नहीं मिला है। समर्थन नहीं करना है।
398. बलवीर सिंग, मिलूपारा – समर्थन।
399. अजय सिंग, मिलूपारा – समर्थन।
400. सुरेंद्र नाथ चौबे, मिलूपारा – समर्थन।
401. पार्थव गुप्ता, खर्रा – स्वागत।
402. ओमसाय सिदार, खर्रा – खर्रा के रोड को ध्यान दें। समर्थन।
403. उरा सिदार, मिलूपारा – समर्थन।
404. रविशंकर, बांझीखोल – समर्थन।
405. सविता रथ, जनचेतना, रायगढ़ – नोटिफिकेशन के आधार पर लोक सुनवाई एडीएम करवा सकते हैं। कंपनी द्वारा 0.8 मिलियन टन से अधिक कोयला उत्खनन किया जा रहा है। कंपनी के विरूद्ध पहले से अपराधिक मामला दर्ज है इसकी जांच की गई है। ईआईए रिपोर्ट में कंपनी ने लिखा है कि वन्य जीव नहीं के बराबर है। अगर यहां पर हाथी नहीं है तो पर्यावरण विभाग लिख कर दें। यह पूरा क्षेत्र हाथी रहवास क्षेत्र बन चुका है। हाथी, भालू, लोमड़ी, अन्य प्रकार के सांप यहां पाये जाते हैं। वन विभाग पर अपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए क्योंकि हाथियों को मुआवजा दिया है करोड़ो रूपये गबन किया है। निको की झूठ के बाद क्यों जन सुनवाई किया जा रहा है ? यहां के गांव वाले पानी के लिए तरस रहे हैं। केलो नदी के आसपास 08–10 कोल वॉशरी हो जायेंगे। इतना पानी कहां से आयेगा ? यहां पेड़ नहीं है लोग नहीं है यह ईआईए में लिखा गया है। जनसंख्या के आंकड़े गलत है। केलो नदी में कंपनी गंदा पानी छोड़ता है। यहां के संसाधनों में किसका हक है ? स्थानीय लोगों का, सरकार का या कंपनी का। आदिवासी युवतियों को क्या काम देंगे कहां लिखा गया है? इनकी सुरक्षा के लिए कंपनी क्या करेगी? कंपनी के अंदर काम करते हुए जो दुर्घटना होगी उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगा। दुर्घटना बचाव का कोई उपाय नहीं है और न ही कोई बीमा की गई है। झूठी जानकारी के आधार पर ईआईए बनाने वाले के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। गरीबों के जमीन के नीचे जो कोयला दबा है वह दरदर की ठोकर खाता है उसका क्या होगा? कंपनी के पिछले रिकार्ड को देखकर यह जनसुनवाई तत्काल रोक देनी चाहिए।
406. बुधियारीन, मिलूपारा – पानी की समस्या है। टिकरा को कम दाम में लिया है। किसी को नौकरी नहीं दिया गया है।
407. भक्तीन सिदार, मिलूपारा – पानी की समस्या है। समर्थन।
408. सुखमेत, मिलूपारा – समर्थन।
409. समारी, मिलूपारा – पानी की तकलीफ है।
410. सेतकुंवर, खर्रा – खाना पीना की वयवस्था की जाये। निराश्रित पैसा दिया जाये। बूढ़ा–बूढ़ी दो आदमी है काम दिया जाये।
411. उषा कुमारी, खर्रा – समर्थन।
412. वेदमती, खर्रा – समर्थन।
413. प्रदीप कुमार, रायगढ – समर्थन।

414. भोगीलाल मालाकार, लोईंग – समर्थन।
415. भूषण साहू, रायगढ़ – समर्थन।
416. मनोज कुमार, तमनार – समर्थन।
417. राकेश कुमार, रायगढ़ – समर्थन।
418. राजेंद्र प्रसाद, रायगढ़ – समर्थन।
419. मनीष कुमार, मिलूपारा – समर्थन।
420. बालकराम चौहान, मिलूपारा – समर्थन।
421. श्यामलाल, खर्रा – ....
422. लालचंद चौहान, मिलूपारा – समर्थन।
423. मुकेश कुमार, मिलूपारा – समर्थन।
424. घुरऊराम , धनागर – कविता पढ़ रहा था।
425. राकेश कुमार, बांझीखोल – समर्थन।
426. सुरेंद्र सिंग, बांझीखोल – कंपनी के आने से रोजगार एवं विकास मिलेगा। समर्थन।
427. रंजीत कुमार, रायगढ़ – समर्थन। हम जैसे बेरोजगार को रोजगार दें।
428. रमेश अग्रवाल, जनचेतना मंच, रायगढ़ – प्रक्रियागत खामिया है जिसके कारण जनसुनवाई नहीं होनी चाहिए फिर भी जनुसनवाई की जा रही है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के समक्ष जो फार्म जमा किया जाता है वह बोर्ड की वेबसाईट में होना चाहिए। आज तक हमे वह फार्म देखने को नहीं मिला है। यह ईआईए रिपोर्ट जो बनाई गई उसका तुलनात्मक अध्ययन हम कैसे करें। फार्म–1 की मांग की गई वह उपलब्ध नहीं कराई गई। पूरी ईआईए पर एक शंका पैदा होती है। जनसुनवाई की तारीख एवं समय निर्धारित करने का जिम्मा सदस्य सचिव का होता है। जिसे कलेक्टर ने किया। ईआईए रिपोर्ट टीओआर के आधार पर बनी है या नहीं? ये ईआईए हू–ब–हू गोवा की कट्पेस्ट है जिसकी पब्लिक हेयरिंग कुछ दिन पहले हुई थी। ईआईए के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाने का कारण यह भी होता है कि ठंड में प्रदूषण का लेवल ज्यादा होता है वनस्पत गर्मी के। एयर पॉल्यूटेंट की जो मॉनिटरिंग की उसका कन्सनट्रेशन गर्मी में ज्यादा मिल रहा है। ये सेटेलाईट इमेज 2009 को पास हुई है उसे ईआईए में प्रयोग किया गया। वही गोवा की ईआईए में है। जनगणना 2001 के आधार पर आंकड़े दिए गए हैं। केलो नदी प्रदूषण से सिकुड़कर गंदी नाली बन गई है। जायसवाल निको को 2009 से लगातार नोटिस दी जा रही है कि केलो नदी में अपने माईस का गंदा पानी न डाले। केलो आज अपने हाल पर रो रही है। जिंदल, सारडा, सभी माईस को नोटिस जारी किया गया है। उसके बावजूद उद्योग की जनसुनवाई कराई जा रही है बावजूद की उसके ट्रेक रिकार्ड को देखें। यह एरिया सेन्सेटिव जोन है। यह क्षेत्र वन्य जीवों का रहवासी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जंगली हाथी अपना नैसर्गिक क्षेत्र बना चुके है। वर्ष 2007 में डीएफओ रैंक का अधिकारी यह बताता है कि जिस समय ईआईए का अध्ययन किया गया है उस समय हाथी भी मरे हैं और उनका मुआवजा भी दिया गया है। हाथी कॉरिडोर होने से 15 कि.मी.के रेडियस पर उद्योग पर बंदिश है। तेंदुआ, भालू, लकड़बग्घा, लोमड़ी आदि पाये जाते हैं। पशु हानि मकान हानि हुई है। कैसी ईआईए रिपोर्ट है जिसमें इसका अध्ययन नहीं किया गया है। यह पर्यावरण के साथ धोखा है। 6 कोल माईस पहले से चल रही है। इस क्षेत्र में अन्य पावर प्लांट एवं कोल वॉशरी संचालित है। मांड रायगढ़ कोल फिल्ड्स पूरा का पूरा कोल बेयरिंग एरिया है। हमे साल भर का डाटा चाहिए, 3 महिने की स्टडी से कुछ नहीं होगा। एक सही इम्पेक्ट असेसमेंट होना चाहिए। इस एरिया में हैंडपंप में पानी नहीं आ रहा है। केलो नदी का पानी पीने लायक नहीं है। बाबा सत्यनारायण के नाम से गर्म कुंड का पानी हुआ करता था वह भी सूख गया है। जहां माइनिंग होगी वहां वाटर लेवल नीचे चला जाता है। यह क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है। 10 वर्ष तक डायवर्सन नहीं हो सकता। ग्राम सभा की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं होता है। इनके माइनिंग लीज क्षेत्र के लिए भी ग्रामसभा का प्रस्ताव नहीं है। सरकार क्या कर रही है? इस क्षेत्र में कैसे उद्योग लगे उस उपधारा को छ.ग. शासन ने विलुप्त कर दिया। तमनार घरघोड़ा एरिया में इतने उद्योग इतने माईस स्थापित हो गई है कहां है इसका डायवर्सन किया गया

है। जो भी स्टडी की जाये उस पर रेडियो एक्टिविटी का अध्ययन किया जाये। कोयला निकाला जा रहा है उसमें हैवी मेटल होता है उसकी क्वालिटी एनालिसिस के बारे में नहीं बताया गया है। यह क्षेत्र शेड्यूल एरिया में आता है यहां पर सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट होना चाहिए साथ ही उसकी भी जनसुनवाई होनी चाहिए लेकिन उसका अतापता नहीं। सिलतरा प्लाट को अच्छी क्वालिटी का कोयला चाहिए। अभी जो कोयला जा रहा है क्या उसकी धुलाई होने के बाद जा रहा है? यदि कोयला बिलासपुर एवं रायगढ़ से धोकर जा रहा है तो उसका उल्लेख क्यों नहीं किया गया? उसके रिजेक्ट का क्या किया गया? क्या उसके मिडलिंग्स को भी ले गए? जिस कोल वॉशरी में कोयला धुलाई किया जा रहा है क्या उसके पास इन्वायरमेंट क्लीयरेंस है? कन्सेंट है? यह हमारे आय से जुड़ा मुद्दा है। इस पर इन्वायरमेंट से मुद्दे पर ध्यान रखें। कंपनी ने क्षमता से ज्यादा कोल उत्खनन किया। ईआईए में कोई एलीगेशन पेंडिंग है, नहीं बताया गया। क्षमता से अधिक कोयला उत्खनन करने के लिए माईनिंग विभाग एवं पर्यावरण विभाग के पास मापने का कोई तरीका है? माइनिंग विभाग ने कहा मेरे पास नहीं है। इन्होंने जो मानिटरिंग की है वह कोई भी सेंसेटिव क्षेत्र में नहीं किया गया है। स्टडी के नाम पर मजाक किया जा रहा है। लाखों की संख्या में पेड़ कट जाने से इसका प्रभाव बड़े क्षेत्र में पड़ने वाला है। इनके द्वारा पहले के इन्वायरमेंट क्लीयरेंस एवं कन्सेंट का कितना पालन हुआ है इसको ध्यान देना चाहिए। जन सुनवाई का व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए वह नहीं हुआ है।

429. जयशंकर, तमनार – पूर्व में जो वादे किए थे उसे अमल में नहीं लाया गया है। इसके द्वारा क्षेत्र में जंगल के आसपास जितनी भी खुदाई किया गया है उस पर पेड़ पौधे नहीं लगाया गया है। पर्यावरण को खा गया है, पी गया है। संविधान के अनुच्छेद 5 के अनुसार आदिवासी के संरक्षण और उनके जमीनों के हक में जो कानून बनाए गए हैं उसका पूरी तरह से उल्लंघन किया जा रहा है। आदिवासी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई खनन या पावर प्लांट नहीं लगाया जा सकता । लेकिन रायगढ़ क्षेत्र का यह ब्लॉक पेसा कानून के अंतर्गत आता है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 45 दिन के अंदर जनसुनवाई होनी चाहिए उसका उल्लंघन हुआ है। कोल वॉशरी में पानी कहां से लायेगा ? पानी का दोहन घर यूज के लिए है। वॉशरी के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। इस क्षेत्र के किसानों को सालों घुमाया जाता है और नौकरी नहीं दी जाती है। सीएसआर के तहत कोई कार्य नहीं किया जाता है। सीएसआर का पैसा अपने उपयोग में नहीं लगाये गांव के विकास में लगाये। कंपनी द्वारा गंदा पानी केलो नदी में डाला जाता है इसकी जांच की जाये। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार कोई भी कंपनी नदी, तालाब को गंदा नहीं कर सकता। अन्यथा उसे बंद किया जाये। जनसुनवाई के दौरान पुलिस बंधुगण को धूप में खड़ा कर दिया जाता है इस पर भी ध्यान दिया जाये। यह लोक सुनवाई सरासर गलत है। इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। उद्योग जहां भी लगेंगे उसका मैं विरोध करूंगा।

430. कन्हैया लाल, तमनार – उद्योगपति यहां से अरबों रूपया कमा कर ले जा रहा है। लेकिन यहां के लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कंपनी केलो नदी में गंदा पानी छोड़ रहे हैं, उससे गंदगी फैल रहा है जिससे परेशानी हो रही है। हजारों लोग बेरोजगार घूम रहे है उनको नौकरी दी जाये। बेरोजगारों को कई साल घुमाया जा रहा है। मैं विरोध करता हूँ।

431. बोधराम, खम्हरिया – कंपनी को जमीन नहीं देंगे। विरोध करते हैं।

432. गजाधर बारीक, खम्हरिया – विरोध।

433. मधु गुप्ता, खम्हरिया – विरोध।

434. मकुंद राम बेहरा, खम्हरिया – विरोध।

435. नान्हूराम, खम्हरिया – विरोध।

436. विजय चौहान, खम्हरिया – विरोध। कंपनी गरीब लोगों का शोषण कर रही है।

437. गोविंद राम, खम्हरिया – विरोध।

438. मन्टू राम, खम्हरिया – विरोध।

439. सनत राम राठिया, खम्हरिया – विरोध।

440. घासीराम राठिया, खम्हरिया – विरोध।
441. समारू राम राठिया, खम्हरिया – विरोध।
442. धनंजय बेहरा, खम्हरिया – विरोध। मेरे गांव में फैक्ट्री लगा नहीं है आजू बाजू फैक्ट्री से ध्वनि प्रदूषण होता है। 40 फीट में पानी पीने को नहीं मिल रहा है। ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण कई प्रकार के प्रदूषण आ रहा है। धान को 10 रू. घूस देकर बेचते हैं। प्रशासन धान का रेट कम कर दिया है। किसान मजबूर है कमाने को। जमीन का रेट क्या है किसान समझ नहीं पा रहा है।
443. मोहनमति, खम्हरिया – विरोध।
444. मानो बाई, खम्हरिया – विरोध।
445. सुमति, खम्हरिया – विरोध।
446. भगवती, खम्हरिया – विरोध।
447. सुशीला, खम्हरिया – विरोध।
448. अहिल्या यादव, खम्हरिया – विरोध।
449. उधिया यादव, खम्हरिया – विरोध।
450. धनकुंवर, खम्हरिया – विरोध।
451. मेमबती, खम्हरिया – विरोध। जमीन नहीं देना है।
452. अंजोरमति, खम्हरिया – विरोध।
453. पुष्पा यादव, खम्हरिया – विरोध।
454. दीनाबाई चौहान, खम्हरिया – विरोध।
455. हेमकुंवर, खम्हरिया – विरोध।
456. भानुमति बेहरा, खम्हरिया,– विरोध।
457. मनीष कुमार, खम्हरिया – विरोध।
458. सुरेश कुमार राठिया, खम्हरिया – विरोध।
459. जीत कुमार बेहरा, खम्हरिया – विरोध।
460. सुखराम, खम्हरिया – विरोध।
461. जयराम बेहरा, खम्हरिया – विरोध।
462. मनबोध, खम्हरिया – विरोध।
463. संतराम चौहान, खम्हरिया – विरोध।
464. संतोष कुमार, खम्हरिया – विरोध।
465. दुर्योधन निषाद, खम्हरिया – विरोध।
466. महेश राठिया, खम्हरिया – विरोध।
467. हीराराम राठिया, खम्हरिया – विरोध।
468. जयलाल राठिया, खम्हरिया – विरोध।
469. सुंदर लाल राठिया, खम्हरिया – विरोध।
470. पुनीराम राठिया, खम्हरिया विरोध।
471. जयराम यादव, खम्हरिया – 10 के भाव में सौदा करता है और 7 के भाव में पैसा देता है। मैं पुरजोर विरोध करता हूँ।
472. धनसिंग राठिया, खम्हरिया – विरोध।
473. समारू राम, खम्हरिया – विरोध।
474. धनीराम राठिया, खम्हरिया – विरोध।
475. अर्जुन राठिया, बांझीखोल – विरोध।
476. चेतन, बांझीखोल – विरोध।
477. भगतराम, मिलूपारा – विरोध।
478. हरिशंकर यादव, खम्हरिया – विरोध।
479. कमल, खम्हरिया – विरोध।
480. नेत्रानंद बेहरा, खम्हरिया – विरोध।

481. देवेंद्र चौहान, खम्हरिया – विरोध।
482. राधेश्याम जायसवाल, खम्हरिया – विरोध।
483. श्रवण चौहान, तमनार – जिस जगह के लिए जनसुनवाई किया जा रहा क्या आपने उस जगह को देखा है? वन विभाग, वन्य प्राणी पाये जाते हैं लिखकर दिया है। यह सत्य बात है। चारों तरफ जंगल है। उस जगह पर कोल माईंस खोला जा रहा है। उसे पर्यटन बनाया जाना चाहिए। जनसुनवाई जिसका कराया जाता है उस जगह को नहीं देखा जाता है। क्या ईआईए रिपोर्ट की सत्यता की जांच की जाती है? लोकेशन देखने पर पता चलेगा कि कोयला खनन योग्य नहीं है। वन्य प्राणी पाये जाते है। पर्यावरण प्रदूषण आम बात है। इतना बड़ा डेम बनाया जा रहा है वह आम आदमी के लिए बनाया जा रहा है कंपनी के लिए नहीं। ब्लास्टिंग के समय आप आकर देखिए छत का खप्पर कंपन से गिर जायेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी जो कमाता है उस जमीन को बेचकर वह क्या करेगा? भोलेभाले आदिवासी को जनसुनवाई का अर्थ भी मालूम नहीं है। सरकार को इनको जागरूक करना चाहिए। प्रशासन का दायित्व बनता है कि कंपनी आने से लोगों को क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा ? यह बताया जाना चाहिए। लोगों को जागरूक करना चाहिए। निको जायसवाल 100 पेड़ काटा है तो कितना पेड़ लगाया है मुझे बताया जाये। क्या वह जीवित है? खानापूर्ति के लिए जनसुनवाई करवाया जा रहा है। बिजली के लिए कोयला जरूरी है। न मेरा समर्थन न मेरा विरोध है। दिल की बात कहने आया हूं।
484. दिलीप केरकेट्टा, लैलुंगा – पूरा विरोध करता है। सारे औद्योगिकीकरण का विरोध करता हूँ। 10 साल बाद हमे एक बित्ता जमीन नहीं मिलेगा। किसान के पास जमीन है इसलिए वह स्थायी है नहीं तो इधर ऊधर घूमता रहेगा। चोरी डकैती करता रहेगा। बस्तर जैसे हालात यहां बन सकते हैं। नक्सली बनने में कतई विरोध नहीं करेगा।
485. लेखराम सिदार, सिदारपारा – मैं बेरोजगार हूँ। मुझे काम मिले। समर्थन
486. ढोल कुमार, सिदारपारा – समर्थन।
487. बंशीलाल चरण, मिलूपारा – कंपनी आने से यहां प्रदूषण हो रहा है। प्रबंधन में कुछ कमी है। कंपनी को हमारे गांव के तरफ ध्यान देना चाहिए।
488. शंभूलाल सिदार, सक्ता – समर्थन।
489. पितांबर सिदार, सक्ता – समर्थन।
490. जागेश्वर गुप्ता, खम्हरिया – विरोध। इस क्षेत्र में प्रदूषण ज्यादा फैलेगा।
491. चित्रसेन सिदार, सक्ता – समर्थन।
492. टिकेश्वर सिदार, सक्ता – समर्थन।
493. रमेश नायक, मिलूपारा – समर्थन।
494. दिलीप नायक, सक्ता – समर्थन।
495. ऋषिनायक, पंच, वार्ड कं. 8, सक्ता – समर्थन।
496. बसंत कुमार गुप्ता, खर्रा – समर्थन।
497. पदुम लाल चरण, मिलूपारा – समर्थन।
498. टकेश्वर बेहरा, मिलूपारा – समर्थन।
499. विद्याधर पटेल, मड़वाडुमर – समर्थन।
500. वेदव्यास, मिलूपारा – समर्थन।
501. कलाराम सिदार, मिलूपारा – समर्थन। रोजगार चाहता हूँ।
502. नोहरसाय सिदार, सिदारपारा – समर्थन। युवाओं को रोजगार का अवसर मिले। ग्राम का विकास हो।
503. राजकुमार चौहान, मिलूपारा– समर्थन।
504. हरिकुमार, मिलूपारा – समर्थन।
505. अलिख राम, मिलूपारा – समर्थन।
506. उद्धव सिंग भगत, मिलूपारा – समर्थन।
507. लक्ष्मी प्रसाद पटेल, कोड़केल – समर्थन।

508. टीकाराम, मिलूपारा – समर्थन।
509. जगन्नाथ सिदार, मिलूपारा – ग्रामीण युवा कंपनी को समर्थन दें हम चाहते है। हमे रोजगार स्थायी रूप ये उपलब्ध कराये। हमे हमारा हक मिले। कंपनी हमारा सपोर्ट करे। इसलिए हम कंपनी का समर्थन करते हैं।
510. रूपसिंग, खर्रा – समर्थन। हमारे गांव के रोड को ध्यान दें।
511. कार्तिक सिदार, सक्ता – समर्थन
512. प्रदीप कुमार गुप्ता, खर्रा – समर्थन।
513. गुरबिन, कोड़केल – 3 साल से नौकरी देने की बात कह रहा है अभी तक नौकरी नहीं दिया है। और मेरी बेटी ही बेटी है बेटा नहीं है। कोई नौकरी मिल जाना चाहिए।
514. सुरेंद्र कुमार साहू, मिलूपारा – समर्थन।
515. परमेश्वर साहू, मिलूपारा – समर्थन।
516. अरविंद निषाद, मिलूपारा – समर्थन।
517. मुकेश कुमार चंद्रा, मिलूपारा– समर्थन।
518. मालिक राम सिदार, पंच, लालपुर – समर्थन।
519. गोविंद सिंग, गोढ़ी – समर्थन।
520. जोतराम, गोढ़ी – स्वागत।
521. मदन सिदार, मिलूपारा – समर्थन।
522. रेतम सिदार, मिलूपारा – समर्थन।
523. परदेशी चौहान, पाली – समर्थन।
524. शांतिलाल सिदार, लालपुर – समर्थन।
525. रमेश कुमार चौहान, दर्रीपारा – समर्थन।
526. सत्यरक्षक गुप्ता, खर्रा – समर्थन।
527. होरी लाल सिदार, सक्ता – समर्थन।
528. दयाराम सिदार, खर्रा – समर्थन।
529. भोक्ते, मिलूपारा – समर्थन।
530. लच्छीराम सिदार, सक्ता – देवस्थान के लिए सहयोग चाहिए। उखड़ रहा है माटी कट रहा है माटी नहीं कटना चाहिए। पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। पंखा नहीं है। मैं अंडरग्राउंड में काम करता हूँ।
531. दिलबोध, सक्ता – स्वागत।

लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण क्षेत्रीय अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायगढ़ द्वारा पढ़कर सुनाया गया।

लोक सुनवाई के दौरान जनता द्वारा उठाये गये मुद्दों के संबंध में उद्योग प्रतिनिधि श्री दिनेश श्रीवास्तव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वनोपज का किसी भी तरह नुकसान नहीं होगा। वन क्षेत्र में कार्य नहीं किया जायेगा। 30000 पौधे का वृक्षारोपण प्रतिवर्ष करेंगे। ब्लास्टिंग की समस्या से निपटने के लिए महानिर्देशक खदान सुरक्षा के निर्देशों का पालन करेंगें। विस्फोट हेतु आधुनिक तकनीकी के द्वारा कम्पन को अत्यंत कम करेंगें। वन्य जीवों की सुरक्षा एवं सरक्षण हेतु वन विभाग के नियमों का पालन करेंगे। कोयले का परिवहन पक्के सड़क के माध्यम से करेंगे। जल छिड़काव करेंगे। उपचारित जल का उपयोग वृक्षारोपण एवं धूल नियंत्रण के कामों में लाया जायेगा। भूजल के लिए केंद्रीय भूजल बोर्ड से अनुमति प्राप्त है। खदान पिट में वर्षाकाल में संग्रहित पानी का उपयोग करेंगे। ओव्हरबर्डन क्षेत्र में हर साल वृक्षारोपण किया जाता है। जिसकी जीवित दर 95 प्रतिशत है। सड़क निर्माण, तालाब, मंदिर, अस्पताल, इंगलिश मिडियम स्कूल का निर्माण, मरम्मत, दवा एवं डॉक्टर की उपलब्धता संबंधी कार्य निरन्तर कर रहे है और भविष्य में करते रहेंगे। पानी की व्यवस्था की जाती है। 3 बिस्तर वाले अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। क्षेत्र के लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान किया गया है और भविष्य में किया जाता रहेगा। भूमिगत खदान में कार्य हेतु जो सक्षम है उसे नौकरी प्रदान किया जायेगा। प्रत्येक कमर्चारी को सरकारी नियमानुसार वेतन

दिया जाता है। खदान से निकाले गये कोयले को अपने सिलतरा स्थित स्टील प्लांट में बिना वांशिंग के भेजा जाता है। क्षमता विस्तार के पश्चात् भविष्य में कोयले को वांशिंग कर भेजा जायेगा। रायपुर में स्थित सिलतरा प्लांट कोल बेस्ड प्लांट है जिसमें कोयले की खपत केप्टिव युज के लिए की जाती है। ड्राफ्ट ईआईए में कुछ निर्देशित कमियों को फाईनल ईआईए में सम्मलित करते हुए अंतिम पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु भेजेंगें।

इस प्रकार परियोजना से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण, ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन, जल आपूर्ति, सामुदायिक विकास तथा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त बिंदुओं पर बिन्दुवार अपना पक्ष रखा।

सुनवाई के दौरान कई लोगों द्वारा लिखित अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया गया। संपूर्ण लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी की गई ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायगढ़ द्वारा दोपहर सायं 5.35 बजे उपस्थित लोगों के सुझाव, आपत्ति, टीका–टिप्पणी पर कंपनी प्रतिनिधि की ओर से जवाब आने के पश्चात् लोक सुनवाई के समाप्ति की घोषणा की गई।

2/5/2012

(जे. लकड़ा)
क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

(मो. कैसर अब्दुलहक)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत
जिला – रायगढ़ (छ.ग.)